P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-11* July- 2020
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारतीय महिलाओं की विकास यात्राः एक सिंहावलोकन

The Development of Progression of Indian Women: A Retrospect

Paper Submission: 05/07/2020, Date of Acceptance: 20/07/2020, Date of Publication: 21/07/2020

सविता शर्मा
असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग,
बाबा नारायणदास राजकीय कला महाविद्यालय, चिमनपुरा, शाहपुरा, जयपुर,
राजस्थान, भारत

सारांश

भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जो विविधता में एकता को दर्षाता है। एकत्व की इस भावना ने एक और भारतीय सभ्यता को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाया वहीं दूसरी ओर समय के प्रवाह के साथ – साथ अनेक नकारात्मक तत्वों ने जन्म लिया और उसे क्षति पहुचायी। ऐसा ही एक नकारात्मक तत्व था – समाज में महिलाओं को पुरूषों के समकक्ष न मानकर हीन मानना। इस प्रवृत्ति ने भारतीय सभ्यता को बहुत क्षति पहुॅचायी और आधुनिक युग में अंग्रेजों के समय में पतन की अन्तिम सीमा तक पहुॅच गई। विभिन्न समाज सुधारकों एवं महात्मा गॉधी ने उसकी स्थिति को उच्च बनाया व स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी बनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान में विषेष प्रावधान किए गए। 73 वें एवं 74 वें संषोंधन ने स्थानीय राजनीति में न्यूनतम एक तिहाई आरक्षण प्रदान कर उनमें एक नवीन चेतना जागृत की। आज वे समय से आगे निकलकर प्रत्येक क्षेत्र में अपने पदचिन्हों की छाप छोड़ रही हैं ।

India is one of the oldest civilizations of the world which characterizes unity in diversity. This belief in unity in diversity gave Indian civilization an almost importance in the world civilization but with the passage of timeA number of negative elements arose which harmed the status of the nation. One such negative aspect is to consider woman as inferior and not equal to their male counterparts. This tendency greatly harmed Indian tradition and during the British rule degraded it toA great extent. Many social reformers and Mahatma Gandhi worked for the upliftment of the women in the society and paved the way for the equal participation of women in the freedom struggle. Post independence notable provisions for women were made in the Indian constitution. The 73th and 74th amendment to the constitution specified one third reservations for women in the municipal level election which emerged the feminine self. Presently women are moving ahead in each almost every field and makingA mark for themselves. The development of progression of Indian women: An overview.

मुख्य शब्द : सभ्यता, आंदोलन, स्थिति, मूक, क्रांति, संषोधन, भागीदारी
Civilization, Movement, Position, Silent, Revolution, Amendment, Participation.

प्रस्तावना

भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और उसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है। इसी के प्रकाष से प्राचीन यूनान, मिश्र बेबीलोन आदि की सभ्यताएं आलोकित एवं प्रस्फुटित हुई हैं।[1] पं. जवाहरलाल नेहरु ने भारत के पांच या छः हजार वर्षों के इतिहास के बारे में अपनी कृति 'विश्व इतिहास की झलक' में लिखा है, इतिहास के उषःकाल से आज तक विभिन्न युगों से होते हुए भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की निरन्तरता एवं व्यापकता पर विचार करना दिलचस्प एवं आह्लादकारी हैं। एक अर्थ में हम भारत में इन हजार वर्षों की विरासत के उत्तराधिकारी हैं।[2] युगों की मूल एकता भारत का महत्वपूर्ण और मूल तथ्य हैं।[3] हजारों वर्षों के संक्रमण के परिणामतः भारत एक ऐसे जटिल समाज के रूप में उभर कर सामने आया है जिसे बहुजातीय, बहुवंषीय बहुधर्मीय तथा बहुभाषायी की संज्ञा दी जा सकती हैं।[4] पं. नेहरू ने भारत की बहुवंषों का पात्र की उपमा दी है।[5] जिसे "विविधता में एकता" की संज्ञा दी जा सकती हैं ।

अध्ययन का उद्देश्य

मुख्य उद्देष्य यह स्पष्ट करना है कि भारतीय महिलाओं की विकास यात्रा समय के साथ – साथ निरन्तर संघर्ष पथ पर चलती रही है और आगे भी उच्चता की और बढती रही है ।

भारतीय संस्कृति की वैषिष्टयः विविधता में एकता

विविधता में एकता की संस्कृति ने भारतीय सभ्यता को न केवल समृद्ध बनाया बल्कि उसे समन्वयात्मक भी बनाया। लेकिन इन सबके सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही प्रभाव भारतीय जनता पर पड़े। जहां कुछ वर्गो का उत्थान हुआ वहीं पर महिलाओं की स्थिति निम्नतर से निम्नतर होती चली गई ।

जब हम अपने अतीत पर दृष्टिपात करते हैं तो यह पाते हैं कि भारत में गार्गी एवं मैत्रेयी जैसी प्रसिद्ध महिला दार्षनिक थी जो पुरूषों के बराबर षास्त्रार्थो एवं विचार प्रक्रियाओं में भाग लेती थी। उनकी स्थिति वैदिकाल काल में बहुत अच्छी थी। धर्मषास्त्र काल (तीसरी षताब्दी से 11वीं षताब्दी का पूर्वार्द्ध) में नारियों की स्थिति दयनीय हो गई। इस युग में स्त्री का धर्म पति की सेवा करना माना गया। उन्हे सम्पत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया। मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि– "नारी कभी स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है, बचपन में पिता के अधिकार में, युवावस्था में पति के अधिकार में तथा वृद्धावस्था में पुत्र के अधिकार में रहे ।" इस तरह से उसे पूर्ण रूप से पुरूष पर निर्भर कर दिया गया ।[6]

महिला को पुरूष के बिना कुछ नहीं माना जाता था। वह केवल बेटी, पत्नी या माँ ही हो सकती थी। वह नेतृत्व नहीं कर सकती थी। हमेषा जीवन में विद्यमान 'पुरूष' (चाहे पिता हो, बेटा या पति) की छाया में रहती थी। खुद के बारे में या अपने परिवार और बच्चों के बारे में निर्णय करने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। महिलाओं के प्रति यह दृष्टिकोण केवल भारत में ही नहीं था बल्कि पष्चिमी समाजों में भी न्यूनाधिक रूप में भी महिलाएँ भेदभाव का षिकार होती रही हैं। उन्हे पुरूषों से हीन माना गया। इस पुरूष प्रधान समाज में निर्णयन प्रक्रिया तथा संसाधनों पर नियंत्रण पर पुरूषों का आधिपत्य था। मताधिकार प्रक्रिया में भी महिलाओं की कोई सहभागिता नहीं थी। इसका ज्वलन्त उदाहरण ब्रिटेन की भूतपूर्व प्रधानमंत्री मार्गेट थैचर रही हैं। जब इन्होंने राजनीति में भाग लेने का निर्णय किया तो उन्हें कतिपय राजनीतिक दलों द्वारा पार्टी का टिकट देने से साफ मना कर दिया गया और यह कहा गया कि वे घर जाकर अपने बच्चों की परवरिष करें और गृहिणी की भूमिका निभाएं। लेकिन धीरे–धीरे समय बदला और महिलाओं की भूमिका अपेक्षाकृत ताकतवर बनती चली गई ।

सामाजिक–राजनीतिक सुधार आन्दोलन एवम् महिलाएं

यह एक सर्वमान्य सत्य है कि समय सदैव परिवर्तनषील होता है। वह कभी–भी, किसी के लिए भी नहीं रूकता। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भारत में महिलाओं की स्थिति के सन्दर्भ में देखा जा सकता हैं। इतिहास के काल चक्र में जहां वैदिक युग उनके लिए स्वर्णयुग के समान था तो उसके बाद निरन्तर स्थितियां विकट एवं षोचनीय होती चली गई। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के साथ–साथ उनकी एवं समाज के अन्य वर्गो की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किए गए ।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए उदारवादी युग से पूर्व ही प्रयास आरम्भ हो गए थे। राजा राममोहन राय ने समाज से सती प्रथा के अन्त के लिए कानून बनाया तो ईष्वरचंद्र विद्या सागर ने विधवा विवाह के लिए समाज में जागृति उत्पन्न की। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जहां एक ओर वेदों की ओर लौटो (ठंबा जव टमकें) का आह्वान किया वहीं दूसरी ओर स्त्री–पुरूष समानता पर बल देते हुए स्त्रियों को अपने लिए स्वयं जीवन साथी चुनने का अधिकार दिया। सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार आंदोलनों के नेतृत्वकर्ताओं का यह निरन्तर प्रयास रहा कि स्त्रियों की स्थिति को सुधारा जाए, उन्हे एक इंसान माना जाए तथा उन्हें भी आगे बढ़ने के भरपूर अवसर मिले। सावित्री बाई फुले ने इस दिषा में उल्लेखनीय कार्य किया। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम मुख्य रूप से महात्मा गांधी ने किया ।

स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाएँ

सन् 1920 के दषक में पहली बार भारत की स्वतंत्रता के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं षामिल हुई। महात्मा गांधी ने घर के अंदर और बाहर महिलाओं के स्थान के बारे में अपने विचारों को बहुत कुषलतापूर्वक एवं दमदार तरीके से रखा था। जिसके कारण समाज सुधारक एवं गांधी जी दोनों एक साथ आ गए। ऐसा लगा मानों राष्ट्रवादी कल्पना में ''आधुनिक जानूस'' (वह यूनानी देवता जो अतीत और भविष्य को एक साथ देख सकता है) और ''भावी राष्ट्र'' के अंकुर पहले ही फूट चुके थे।[7] असहयोग आंदोलन ने व्यापक पैमाने पर महिलाओं को आंदोलन से जोड़ा। इस आंदोलन ने पूरे भारत भर की महिलाओं को अपने–अपने घरों से बाहर निकालकर देष के लिए प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार किया। इसी समय अमेरिकी लेखिका कैथरीन मेयो ने ''मदर इण्डिया'' नामक पुस्तक लिखी। जिसमें हिंदू पुरूषों की कठोर आलोचना करते हुए महिलाओं की दासियों जैसी स्थिति का वर्णन किया।[8] जिसके कारण भारतीय सुधारकों को बहुत धक्का लगाा क्योंकि भारतीय समाज की विश्वभर में आलोचना हो रही थी ।

1920 के सविनय अवज्ञा आंदोलन ने महिला जागृति को नया आयाम दिया। अब महिलाओं को भी पुरूषों की भांति षारीरिक प्रषिक्षण दिया जाने लगा ताकि वे भी पुरूषों के बारबर सहभागी हो सकें। इस समय जेल जानी वाली कुछ महिलाओं में सरोजिनी नायडू, मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी, मारग्रेट कजिंस, कमला देवी चटोपाध्याय आदि प्रमुख थी। 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान गुजरात के धरासणा में प्रमुख महिला सत्याग्रही थी। उन्होंने 1931 के गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया।[9] अरूणा आसफ अली ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया। इस तरह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया।

उनके इस कदम से राष्ट्रीय आंदोलन का सबल आधार मिला और उसने अधिक मजबूती से कार्य किया ।

भारतीय राजनीति में महिला अधिकारिता की मूक क्रांति

महिलाएँ हमारी जनसंख्या का आधा हिस्सा हैं लेकिन षेष आधी जनसंख्या के मुकाबले उन्हे बहुत अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि कोई भी पक्षी दोनों पंखो से ही अच्छी उड़ान भर सकता है। यदि उसका एक पंख कमजोर है तो वह उड़ान नहीं भर सकता। इसी तथ्य को दृष्टिगत करते हुए भारत के संविधान निर्माताओं ने समाज के वंचित वर्गो विषेषकर महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए संविधान में विषेष प्रावधान किए। जवाहर लाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष कहा था ।

''उसका (संविधान सभा का) सर्वप्रथम काम भारत को नए संविधान के माध्यम से स्वतंत्रता प्रदान करना, भूख से पीड़ित लोगों को भोजन देना, नंगे लोगो को कपड़ा प्रदान करना तथा प्रत्येक भारतीय को उसकी क्षमता के अनुसार उन्नति करने हेतु अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना है। इस समय भारत का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रष्न यह है कि गरीब और भूख से पीड़ित लोगों की समस्या को कैसे हल किया जाए। हम जहां कहीं भी जाते हैं हमें इस समस्या का सामना करना पड़ता हैं। यदि हम इस समस्या को षीघ्र हल नहीं कर सके, तो हमारा कागजी संविधान अनुपयोगी एवं निरर्थक हो जाएगा ।

अतः स्वतंत्रता प्राप्ति के पष्चात् विकास एवं कल्याणकारी कार्य बहुत तीव्र गति से किए गए। जहां एक ओर समाजवाद को अपनाया गया वहीं दूसरी ओर नारी षक्ति के उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य किए गए। जैसा पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत में स्त्रियों के उत्थान का आन्दोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आन्दोलन का सहयोगी हो गया था। अतः जब संविधान बना तो स्त्रियों के समान अधिकारों को मान्यता देने में कोई कठिनाई नहीं हुई। संविधान की धाराएँ 16(1) और 16(2) पुरूष और महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के, नियोजन के समान अधिकार प्रदान करती है। इस अधिकार को चाहे प्रयोगात्मक रूप में कार्यान्वित न किया गया हो लेकिन लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता बहुत अधिक है ।[10] आज जबकि भारत का स्वतंत्र हुए अर्द्ध षताब्दी से भी अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, भारतीय महिलाओं की स्थिति पूर्वापेक्षा सुधरी है। महिलाओं ने भी पुरूषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र के निर्माण एवं विकास में महती भूमिका का निर्वहन किया है। जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होने यह अनुभव कर लिया था कि जब तक महिलाओं की राजनीतिक व्यवस्था में उल्लेखनीय भागीदारी नहीं होगी तब तक भारतीय लोकतंत्र सच्चे अर्थो में लोकतंत्र के आदर्षो की सम्पूर्ति नहीं कर पाएगा। क्योंकि समाज का आधा भाग जब तक स्वयं आगे बढ़कर राजनीतिक व्यवस्था में सहभागी नहीं होगा तब तक उसे अपने अधिकारों की प्राप्ति न्यूनाधिक रूप में ही होगी। अतः राजीव गांधी ने 15 मई 1989 को 64वाँ संषोधन विधेयक रखा जो लोकसभा में 10 अगस्त, 1989 को पारित कर दिया गया ।[11] लेकिन यह राज्यसभा से पारित नहीं हो सका। अतएव संविधान में 1993 में 73वाँ एवं 74 वाँ संषोधन किया गया ।[12] जिसमें महिलाओं को न्यूनतम एक–तिहाई स्थानों पर आरक्षण दिया गया था ।

भारतीय शासन व्यवस्था में यह एक मूक क्रान्ति (पसमदज त्मअवसनजपवद) का आगाज था। आज देष के अधिकांष राज्य महिलाओं को पचास प्रतिषत तक आरक्षण दे चुके हैं। आज यदि पूरी दुनिया के निर्वाचित महिला प्रधिनिधियों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो भी यह भारत की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों से कम ही होगा। पूर्व पंचायती राज मंत्री मणिषंकर अय्यर ने एक बार कहा था– भारत में एक मौन लोकतांत्रिक क्रान्ति हो रही है जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक रूप से भले ही दिखाई नहीं दे रही है पर उसकी धीमी आंच भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बना रही है। इतना ही नहीं यह क्रान्ति देष में सत्ता–विमर्ष के ढांचे में भी बदलाव ला रही है। पंचायत स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी ने स्थानीय स्तर पर सामुदायिक जीवन और उसकी चेतना तथा संस्कृति में भी परिवर्तन लाया है ।[13]

प्रारम्भ में जब 73वाँ एवं 74वाँ संषोधन संविधान में किया गया तब यह आषंका व्यक्त की गई कि निरक्षर महिलाएँ पंचायतों का काम नहीं कर पाएगी और पूरी पंचायती राज व्यवस्था खतरे में आ जाएगी। उनकी यह मान्यता थी कि महिलाएँ घर की चारदीवारी के अन्दर ही रहती हैं और अपनें पति या रिष्तेदारों के अलावा वे किसी पराए पुरूष से बात नहीं कर सकती तो ऐसी स्थिति में पंचायती राज व्यवस्था में निर्वाचित होकर वे कौनसी नई उपलब्धि प्राप्त कर लेगी। ऐसी संकीर्ण पुरूषवादी मानसिकता ने महिलाओं की क्षमता को बहुत कम करके आंका। आज जबकि 73वें एवं 74वें संषोधन को लागू हुए तीन दषक पूर्ण होने वाले हैं, महिलाओं ने ऐसी नकारात्मक सोच रखने वाले समाज को अपनी उपलब्धियों से ऐसा जवाब दिया है कि षासनकर्ताओं ने तैंतीस प्रतिषत से बढ़ाकर पचास प्रतिषत कर दिया हैं।

महिला अधिकारिता की मूक क्रान्ति की यह यात्रा बहुत लम्बी एवं कष्ट दायक रही है। लेकिन महिलाएँ अपने मार्ग में आने वाले हर संकटों एवं परेषानियों को झेलकर प्रगति पथ पर आगे बढ़ी हैं। उन्होने अपनी षक्ति को पहचान लिया हैं। वे निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर हैं। आज पंचायती राज की कल्पना महिलाओं के बगैर नहीं की जा सकती। उन्होने अपनी नैसर्गिक प्रतिभा से सम्पूर्ण राजनीतिक वातावरण को परिवर्तित करके रख दिया है। अब उनकी क्षमताओं पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन महिलाओं को यहां रूकना नहीं है, निरन्तर चलते रहना हैं। रॉबर्ट फ्रास्ट की उपरोक्त पंक्तियां जो पंडित जवाहर लाल नेहरू की डेस्क पर उनके अंतिम समय में रखी मिली थी, सदैव महिलाओं की प्रेरणा स्त्रोत के रूप में होनी चाहिए ।

मनोरम है वन, गूढ और गहन भी
पर पूरे करने हैं मुझे न जाने कितने वायदे
विश्राम से पहले पूरा करना है कोसों का रास्ता
कोसों चलना है विश्राम से पहले ।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *परिपूर्णानन्द वर्मा, प्राचीन भारत में प्रजातंत्र और राजनीतिक दलबन्दी, लोकतंत्र समीक्षा, सांविधानिक तथा संसदीय, अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली, वर्ष 23, अंक 1–4, जनवरी–दिसम्बर 1991, पृ. 1*
2. *जवाहर लाल नेहरू, विश्व इतिहास की झलक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, सन् 1982*

पृ. 12–13; भारत की खोज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, सन् 1981, पृ. 50–52 (अंग्रेजी से अनुदित), सुभाष काष्यप, संसदीय लोकतंत्र का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेषालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, सन् 1998, पृ. 1

3. *जवाहर लाल नेहरू, यूनिटी ऑफ इण्डिया, लंदन, सन् 1948, पृ. 13–14, सुभाष काष्यप, पूर्वोक्त, पृ. 1*
4. *डॉ. एस.एम. अख्तर, नेषनल इंटीग्रेषन इन इण्डिया सिंस इंडिपेन्डेन्स, सी.पी. बर्थवाल (सं.), न्यू रॉयल बुक कम्पनी, लखनऊ, सन् 2001, पृ. 13*
5. *तृप्ति बर्थवाल, कॉमन सिविल कोड फॉर इण्डिया, नेषनल इंटिग्रेषन इन इण्डिया सिंस इंडिपेन्डेन्स पूर्वाक्त, पृ. 53*
6. *अरूण कूमार तिवाड़ी, भारत में मानवाधिकार एवं महिला सषक्तिकरण, लोकतंत्र समीक्षा, खण्ड 37, अंक 1–4, जनवरी–दिसम्बर 2005, पृ.95*
7. *ज्योति अटवाल, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं की भूमिका, योजना, प्रकाषन विभाग, नई दिल्ली, वर्षः 60, अंकः 9, सितम्बर 2016, पृ. 29*
8. *मृणालिनी सिन्हा, स्पेक्टर्स ऑफ मदर इण्डिया, डरहम एवं लंदन, ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रेस, 2006; ज्योति अटवाल, उपरोक्त पृ. 30*
9. *ज्योति अटवाल, पूर्वोक्त, पृ. 30*
10. *डॉ. जनार्दन षुक्ल, स्वतंत्र भारत में सामाजिक क्रान्ति (डॉ. राजेन्द्र प्रसाद व्याख्यानमाला के 1982 के अन्तर्गत दिया गया व्याख्यान) प्रकाषन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, सन् 1985, पृ. 9–10*
11. *ए.के. दुबे, पंचायतीराज सवैधानिक परिप्रेक्ष्य, कुरूक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, अप्रेल 1995, पृ. 4*
12. *भंवर सिंह, मध्यप्रदेष में सत्ता का विकेन्द्रीकरण गांवों के गलियारों तक, कुरूक्षेत्र, अप्रेल 1995, पृ.35*
13. *अरविन्द कुमार, पंचायतों के माध्यम से महिला सषक्तिकरण, योजना, अक्टूबर 2008, पृ.17*